उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल

आपराधिक अपील संख्या 322 वर्ष 2021

सरदार गुरजीत सिंह और अन्य.....अपीलार्थी

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य.....प्रतिवादी

उपस्थित : श्री नरेंद्र बाली, अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता।

श्री ललित मिगलानी AGA ,सुश्री सोनिका खुल्बे , राज्य की ओर से ।

रविन्द्र मैठानी, जे.

सत्र परीक्षण संख्या 178 /2015 के उत्तराखंड राज्य बनाम सरदार गुरजीत सिंह व अन्य ("मामला") में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरिद्वार की अदालत द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 13.10.2021 के खिलाफ अपील की गई है।

2. आक्षेपित निर्णय एवं आदेश द्वारा, अपीलकर्ताओं को भा०दं०सं०की धारा 306 के तहत दोषी ठहराया गया है और सात साल के कठोर कारावास और रुपये 10,000/- प्रत्येक, को जुर्माने और भुगतान करने में चूक होने पर छह महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास की अवधि के लिए सजा सुनाई गई है। ।

3. संक्षेप में अभियोजन का मामला इस प्रकार है। कि अपीलकर्ता और PW-1 परमजीत सिंह ("सूचनाकर्ता") पड़ोसी हैं। दोनों ने स्वीकृत योजना के अनुसार मकानों का निर्माण किया था। अपीलकर्ताओं ने सीढ़ियां बनाने के लिए अपने खुले स्थान पर निर्माण शुरू कर दिया। उक्त निमार्ण PW 1 परमजीत सिंह और उनके परिवार को हवा और प्रकाश में बाधा डालता। PW 1 परमजीत सिंह, सूचनाकर्ता ने मूल वाद संख्या 249 वर्ष 2014 , परमजीत सिंह बनाम गुरजीत सिंह सिविल जज, हरिद्वार ("मूल वाद") की अदालत में दायर किया। जून के महीने में, सिविल कोर्ट की छुट्टियों के दौरान, अपीलकर्ताओं ने 17.06.2014। 18.06.2014 को,फिर से निर्माण शुरू किया। पीडब्लू 1 परमजीत सिंह ने निर्माण रोकने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट ("सीएम") और हरिद्वार विकास प्राधिकरण ("एचडीए") से संपर्क किया, लेकिन अपीलकर्ताओं द्वारा निर्माण को नहीं रोका गया। इसके बजाय, उन्होंने निर्माण में तेजी लाई। मृतक परमजीत कौर, जो पीडब्लू 1 परमजीत सिंह की पत्नी है, ने अपीलकर्ताओं से निर्माण रोकने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने इसे नहीं रोका। पीडब्लू 1 परमजीत सिंह ने 20.06.2014 को फिर से निर्माण रोकने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट ("सीएम") से संपर्क किया। निर्माण बंद न होने पर पुनः दिनांक 25.06.2014 को दोपहर 12 बजे पीडब्लू 1 परमजीत ने एचडीए का दौरा किया और बताया कि दीवार बनने के बाद अब अपीलकर्ताओं ने सीढ़ियां चढ़ाना शुरू कर दिया है। इस बीच, मृतक परमजीत कौर, जो घर पर थी, ने भी अपीलकर्ताओं से अनुरोध किया कि "आपने पहले ही दीवार बना ली है। अब, सीढ़ी का निर्माण न करें"। इस पर, मामले के अनुसार, दोनों अपीलकर्ताओं ने परमजीत कौर को गाली दी और

कहा कि "हमने हर जगह बात की है, इसलिए हमारा काम नहीं रुकेगा। अब हमें निर्माण नहीं करने के लिए कहने के बजाय, बेहतर होगा कि आप गंगा में डूब कर मर जाएं।" इसके बाद आपके पति की भी मृत्यु हो जाएगी"। इसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। पड़ोसियों ने बीच-बचाव कर मृतका परमजीत कौर को उसके घर भिजवा दिया। कुछ देर बाद पुन: मृतका परमजीत कौर अपीलार्थियों के घर आई। दोनों अपीलकर्ताओं ने तब उससे कहा "अब हम समझ गए हैं कि तुम मरने जा रहे हो"। अभियोजन पक्ष के अनुसार इसके बाद परमजीत कौर ने खुद को आग लगा ली। पीडब्लू 1 परमजीत सिंह जब एचडीए कार्यालय में थे, तो उन्हें घटना के बारे में पता चला। मृतका परमजीत कौर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसने 27.06.2014 को चोटों के कारण दम तोड़ दिया। पीडब्लू 1 ने प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके आधार पर, अपीलकर्ताओं के खिलाफ भा०दं०सं० की धारा 306 के तहत 2014 का अपराध संख्या 446 का मामला दर्ज किया गया और जांच आगे बढ़ी।

4. दरअसल, पीडब्लू 1 परमजीत सिंह जब उसके घर पहुंचा तो उसे मृतका परमजीत कौर द्वारा लिखा हुआ एक सुसाइड नोट भी मिला था. सुसाइड नोट एफआईआर के साथ दिया गया था, जिसे विवेचना अधिकारी ("आईओ") ने 27.06.2014 को अभिरक्षा में ले लिया था। दिनांक 27.06.2014 को मृतका परमजीत कौर का विवेचन पत्र तैयार किया गया। उसी दिन उसका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के मुताबिक, मौत पोस्टमार्टम से पहले जलने की चोटों के कारण सदमे से हुई है।

5. विवेचक ने घटना स्थल का नक्शा नजरी तैयार किया। उन्होंने मृतक परमजीत कौर के कुछ सैंपल राइटिंग को भी कब्जे में लिया। मृतक के सुसाइड नोट और स्वीकृत लिखावट को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था और रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि दोनों लिखावट एक ही व्यक्ति की हैं।

6. जांच के बाद, विवेचक ने दोनों अपीलकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

7. दिनांक 24.06.2019 को अपीलकर्ताओं के खिलाफ़ आईपीसी की धारा 306 के तहत आरोप तय किया गया। दोनों ने आरोपों से इनकार किया और परीक्षण का दावा किया।

8. अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य में आठ गवाहों पीडब्लू 1 परमजीत सिंह, पीडब्लू 2 कांस्टेबल 706 प्रमोद नेगी, पीडब्लू 3 के.के. मिश्रा, पीडब्लू 4 अजीत सिंह, पीडब्लू 5 एसआई किरण असवाल, पीडब्लू 6 पंकज देवरानी, पीडब्लू 7 डॉ. संजय जैन और पीडब्लू 8 एसआई राकेश खंडूरी का परीक्षण कराया। अपीलकर्ताओं की आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के तहत परीक्षा की गई थी। उनके अनुसार, उन्हें झूठा फंसाया गया है। गवाहों ने झूठी गवाही दी है। दोनों अपीलकर्ताओं ने कहा है कि, वास्तव में, के.के.मिश्रा ने पीडब्लू 1 परमजीत सिंह और अन्य गवाहों के साथ मिलकर अपीलकर्ताओं के घर को बेचना चाहा ताकि वे उस जगह पर एक होटल का निर्माण कर सकें और जब अपीलकर्ताओं ने अपना घर बेचने से इनकार कर दिया, तो उन्हें झूठा फंसाया गया।

9. निचली अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया और सजा सुनाई, जैसा कि यहां पहले कहा गया है। इससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थीगण ने तत्काल अपील प्रस्तुत की है।

10. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के खिलाफ़ आरोप साबित करने में सफ़ल नहीं रहा है, लेकिन निचली अदालत ने

अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने और सजा सुनाने में त्रुटि की है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने निवेदन में निम्न बिन्दुओं को उठाया है:-

(i) अपीलार्थी वर्ष 2013 से अपनी भूमि पर निर्माण करा रहे थे।

(ii) अपीलकर्ताओं ने मृतका को आत्महत्या के लिए उकसाया नहीं। मृतक व मुखबिर बेवजह निर्माण का मुद्दा उठा रहे थे। अपीलकर्ताओं ने स्थिति उत्पन्न नहीं की।

(iii) मृतक परमजीत कौर की मौत के संबंध में, एचडीए के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई थी और इसे पीडब्लू 1 परमजीत सिंह, मुखबिर द्वारा स्वीकार किया गया था।

(iv) अभियोजन पक्ष यह भी साबित नहीं कर पाया है कि प्रत्येक अपीलार्थी ने किन शब्दों का प्रयोग किया था। संयुक्त कथन को स्थापित करने का प्रयास किया गया है, जिसे दोषसिद्ध का आधार नहीं बनाया जा सकता।

(v) प्रत्येक अपीलकर्ता द्वारा बोले गए विशिष्ट शब्द साबित नहीं हुए हैं।

(vi) पीडब्लू 3 के.के. मिश्रा और पीडब्लू 4 अजीत सिंह, को छोड़कर किसी अन्य गवाह ने विवेचना अधिकारी को घटना के बारे में नहीं बताया।

(vii) यहकि अपीलकर्ताओं द्वारा भड़काने का मामला नहीं है। कोई निरंतर उत्पीड़न नहीं है।

(viii) गाली-गलौज की भाषा का इस्तेमाल करने से भा०दं०सं० की धारा 306 के तहत कोई मामला नहीं बनता है

(ix) अगर बिना किसी इरादे के गुस्से में कुछ कहा जाता है, तो यह उकसाने की श्रेणी में नहीं आता है।

(x) मृतक परमजीत कौर की मौत में अपीलकर्ताओं को कोई सक्रिय भूमिका नही रही हैं ।

11. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता अपनी भूमि में निर्माण कर रहे थे और यदि कोई अनावश्यक रूप से उन्हें ऐसा करने से रोक रहा था, और किसी दिन, भले ही अपीलकर्ताओं ने कहा आप क्यों नहीं मर जाते, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील के अनुसार, यह आत्महत्या के लिए उकसाने की श्रेणी में नहीं आता है।

12. अपने तर्क के समर्थन में, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने राजेश एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य, 2019 एससीसी ऑनलाइन एससी 44, शब्बीर हुसैन बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, 2021 एससीसी ऑनलाइन 743, गुरचरण सिंह बनाम पंजाब राज्य, 2020 (10) एससीसी 200, अर्नब मनोरंजन गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, 2021 (2) एससीसी 427, उदे सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य, (2019) 17 एससीसी 301, एम अर्जुनन बनाम राज्य, (2019) 3 एससीसी 315 और जियो वर्गीज बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, 2021 एससीसी ऑनलाइन 873 ,के मामले में विश्वास जताया।

13. राजेश (सुप्रा) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 306 के प्रावधान पर चर्चा की और कहा कि अभियुक्तों की ओर से घटना के समय के निकट नही होने के

कारण ,कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं होने के कारण, जिसके लिये आत्महत्या करने के मजबूर किया गया हो, , धारा 306 आईपीसी के तहत सजा समर्थनीय नहीं है। इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया : -

"**9**. धारा 306 आईपीसी के तहत अभियुक्त की ओर से घटना के समय के निकट कोई सकारात्मक कार्रवाई किए बिना, उत्पीड़न के आरोप पर सजा समर्थनीय नहीं है, जिसने व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया या मजबूर किया। आईपीसी की धारा 306 के दायरे में मामला, आत्महत्या का मामला होना चाहिए और उक्त अपराध के आयोग में , जिस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसने आत्महत्या के लिए उकसाया है, उसने उकसाने के कार्य या द्वारा सक्रिय भूमिका निभाई होगी आत्महत्या करने की सुविधा के लिए कुछ कार्य करना। इसलिए, इससे पहले उक्त अपराध के लिए आरोपित व्यक्ति द्वारा उकसाने का कार्य अभियोजन पक्ष द्वारा साबित और स्थापित किया जाना चाहिए, कि उसे धारा 306 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया जा सके। (अमलेन्दु पाल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य देखें)

[अमलेंदु पाल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2010) 1 SCC 707: (2010) 1 SCC (Cri) 896])

10. आईपीसी की धारा 107 के तहत शब्द "उल्लंघन" की चित्रेश कुमार चोपड़ा बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) [चित्रेश कुमार चोपड़ा बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली), (2009) 16 एससीसी 605: (2010) 3 SCC (Cri) 367]में व्याख्या की है। इस प्रकार है(SCC पृष्ठ 611, पैरा 16-17) "16. रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य [रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, (2001) 9 में तीन-न्यायाधीश पीठ के लिए बोलते हुए] SCC 618: 2002 SCC (Cri) 1088], आर.सी. लाहोटी, जे. (उस समय उनका आधिपत्य था) ने कहा कि उकसाना, आगे बढ़ने का आग्रह करना, उकसाना या "एक कार्य " करने के लिए प्रोत्साहित करना है। की आवश्यकता को पूरा करने के लिए "उकसाना", हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि वास्तविक शब्दों का उपयोग उस प्रभाव के लिए किया जाना चाहिए या जो "उकसाने" का गठन करता है, वह आवश्यक रूप से और विशेष रूप से परिणाम का सूचक होना चाहिए। फिर भी परिणाम को उकसाने के लिए एक उचित निश्चितता को वर्तनी में सक्षम होना चाहिए। जहां अभियुक्त ने, अपने कृत्यों या चूक से या आचरण के निरंतर क्रम से, ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कीं कि मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था, इस मामले में, "उकसावे" का अनुमान लगाया जा सकता है। वास्तव में परिणाम भुगतने की मंशा के बिना क्रोध या भावना के अनुरूप बोले गए शब्द को उकसाना नहीं कहा जा सकता है।

17. इस प्रकार, "उकसाने" का गठन करने के लिए, एक व्यक्ति जो दूसरे को उकसाता है, उसे "आगे बढ़ने" या "आगे बढ़ने" के द्वारा दूसरे द्वारा किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित, उकसाना, आग्रह करना या प्रोत्साहित करना होता है। "प्रेरित" शब्द का शब्दकोश अर्थ "एक ऐसी चीज है जो किसी को कार्रवाई में उत्तेजित करती है; कार्रवाई या प्रतिक्रिया के लिए उकसाती है" (संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी देखें); "किसी को तब तक परेशान करना या

परेशान करना जब तक वह प्रतिक्रिया न करे" (देखें ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी, 7 वां संसकरण)।(मूल में)

11. बिना किसी इरादे के क्रोध या लोप के लिए कहे गए शब्दों को उकसाना नहीं कहा जा सकता है।(देखें प्रवीण प्रधान बनाम उत्तरांचल राज्य [प्रवीण प्रधान बनाम उत्तरांचल राज्य, (2012) 9 SCC 734: (2013) 1 SCC (Cri) 146] "

14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शब्बीर हुसैन (उपरोक्त) के मामले में भी भा०दं०सं० की धारा 306 के तत्वों पर चर्चा की और निम्नानुसार पाया: -

"**4.** किसी मामले को आईपीसी की धारा 306 के प्रावधान के भीतर लाने के लिए, आत्महत्या का मामला होना चाहिए और उक्त अपराध को करने में, जिस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसने आत्महत्या के लिए उकसाया है,या उसने उकसाने के कार्य द्वारा एक सक्रिय भूमिका,आत्महत्या के कृत्य को सुविधाजनक बनाने के लिए एक निश्चित कार्य करके भूमिका निभाई होगी।

5. घटना के समय के करीब अभियुक्तों की ओर से किसी भी सकारात्मक कार्रवाई के बिना केवल उत्पीड़न, जिसके कारण आत्महत्या हुई, आईपीसी की धारा 306 [के तहत अपराध नहीं माना जाएगा।अमलेंदु पाल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2010) 1 एससीसी 707]।

6. किसी व्यक्ति द्वारा उकसाना तब होता है जब कोई व्यक्ति दूसरे को कुछ करने के लिए उकसाता है। उकसावे का अनुमान तब लगाया जा सकता है जब आरोपी ने अपने कार्यों या चूक से ऐसी परिस्थितियां पैदा कीं कि मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। [चित्रेश कुमार चोपड़ा बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली सरकार), (2009) 16 एससीसी 605]।"

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गुरचरण सिंह (सुप्रा) के मामले में, आईपीसी की धारा 306 के मामले में विभिन्न मामलों में निर्धारित कानून के सिद्धांत का उल्लेख किया। निर्णय के पैराग्राफ 15 में, माननीय न्यायालय ने कहा, "जैसा कि सभी अपराधों में आपराधिक मनःस्थिति को स्थापित किया जाना है। जैसा कि आईपीसी की धारा 107 के तहत निर्दिष्ट है,उकसाने के अपराध को साबित करने के लिए, किसी विशेष अपराध को करने के लिए मन की स्थिति होनी चाहिए आपराधिक मनःस्थिति को साबित करने के लिए, यह साबित करने या दर्शित करने के लिए रिकॉर्ड में कुछ होना चाहिए कि अपीलकर्ता का दिमाग दोषी था और उस मनोदशा को आगे बढ़ाने के लिए, मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाया। मनःस्थिति के तत्व को प्रकट रूप से मौजूद नहीं माना जा सकता है, लेकिन इसे दृश्यमान और विशिष्ट होना चाहिए।"

16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अर्नब मनोरंजन गोस्वामी (सुप्रा) के मामले में, आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में निर्धारित कानून के सिद्धांत का उल्लेख किया। पैरा 50, 51 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

"50. धारा 107 का पहला खंड किसी विशेष कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाने के रूप में उकसाने को परिभाषित करता है।दूसरा खंड इसे

किसी कृत्य को करने के लिए और एक साजिश के अनुसरण में अधिनियम या अवैध चूक एक या अधिक अन्य व्यक्तियों के साथ साजिश में शामिल होने के संदर्भ में परिभाषित करता है,। तीसरे खंड के तहत, किसी कार्य या चूक द्वारा जानबूझकर किसी चीज को करने में सहायता करने पर उकसाना स्थापित किया गया है। इन प्रावधानों को विशेष रूप से धारा 306 के संदर्भ में माना गया है जिसका संदर्भ है प्राथमिकी की सामग्री का आकलन करने के लिए कानूनी आधार प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है। इन प्रावधानों को इस न्यायालय के पश्चिम बंगाल राज्य बनाम ओरीलाल जायसवाल [पश्चिम बंगाल राज्य बनाम ओरीलाल जायसवाल, (1994)1 एससीसी) 73: 1994 SCC (Cri) 107], के पहले के निर्णयों में माना गया है। रणधीर सिंह बनाम पंजाब राज्य [रणधीर सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2004) 13 SCC 129: 2005 SCC (Cri) 56], किशोरी लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य [किशोरी लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2007) 10 एससीसी 797: (2007) 3 एससीसी (सीआरआई) 701] ("किशोरी लाल") और किशनगिरी मंगलगिरी गोस्वामी बनाम गुजरात राज्य [किशनगिरी मंगलगिरी गोस्वामी बनाम गुजरात राज्य, (2009) 4 एससीसी 52: (2009) 2 एससीसी (सीआरआई) 62] . अमलेंदु पाल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में [अमलेंदु पाल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2010) 1 एससीसी 707: (2010) 1 एससीसी (सीआरआई) 896] ,

मुकुंदकम शर्मा, जे., इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की खण्डपीठ के लिए बोल रहे हैं और पहले के फैसलों का विरोध कर रहे हैं।, देखा गया: (एससीसी पी712, पैरा 12) "

12. ... यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कथित आत्महत्या के लिए उकसाने के मामलों में आत्महत्या करने के लिए उकसाने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कृत्यों का सबूत होना चाहिए। केवल उत्पीड़न के आरोप के बिना की ओर से घटना के समय के निकट कोई भी सकारात्मक कार्रवाई आरोपी जिसने व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया या मजबूर किया, धारा 306 आईपीसी के संदर्भ में सजा समर्थनीय नहीं है।

" 51. न्यायालय ने कहा कि इससे पहले कि किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला कहा जा सकता है, उन्होंने "उकसाने के कार्य द्वारा या आत्महत्या के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ कार्य करके सक्रिय भूमिका निभाई होगी"। उकसाना, जैसा कि इस न्यायालय ने किशोरी लाल [किशोरी लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2007) 10 SCC 797: (2007) 3 SCC (Cri) 701] में आयोजित किया था, "शाब्दिक अर्थ है उकसाना, उकसाना, आग्रह करना या इसके द्वारा लाना कुछ भी करने के लिए अनुनय"। एस.एस. चीना बनाम विजय कुमार महाजन [एस.एस. चीना बनाम विजय कुमार महाजन, (2010) 12 SCC 190: (2011) 2 SCC (Cri) 465], इस न्यायालय की दो- न्यायाधीशों की पीठ ने दलवीर भंडारी, जे. के माध्यम से बोलते हुए कहा: (SCC पृष्ठ 197, पैरा 25) "25। उकसाने में किसी व्यक्ति को उकसाने या किसी काम को करने

में जानबूझकर किसी व्यक्ति की सहायता करने की मानसिक प्रक्रिया शामिल है। अभियुक्त की ओर से आत्महत्या करने के लिए उकसाने या सहायता करने के सकारात्मक कार्य के बिना, दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है। विधायिका की मंशा और इस न्यायालय द्वारा तय किए गए मामलों के अनुपात से स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को आईपीसी की धारा 306 के तहत दोषी ठहराने के लिए अपराध करने के लिए एक स्पष्ट मनःस्थिति होनी चाहिए। इसके लिए एक सक्रिय कार्य या प्रत्यक्ष कार्य की भी आवश्यकता होती है जो कोई विकल्प न देखकर मृतक को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया और उस कार्य का उद्देश्य मृतक को ऐसी स्थिति में धकेलना रहा होगा कि उसने आत्महत्या कर ली।"

17. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उदे सिंह (उपरोक्त) के मामले में वास्तव में "भड़काव" शब्द की व्याख्या की कि इसका क्या अर्थ है और भड़काने का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। पैरा 16, 16.1 और 16.2 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

"**16.** कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में, आत्महत्या करने के लिए उकसाने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कार्य(कृत्यों) का सबूत होना चाहिए। यह मुश्किल से विवादित हो सकता है कि आत्महत्या के कारण का सवाल, विशेष रूप से संदर्भ में आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध एक जटिल मामला है, जिसमें मानवीय व्यवहार और प्रतिक्रियाओं/प्रतिक्रियाओं के बहुआयामी और जटिल गुण शामिल हैं। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप के मामले में, न्यायालय आत्महत्या करने के लिए उकसाना कृत्यों के ठोस और ठोस सबूत की खोजबीन करेगी। आत्महत्या के मामले में, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मृतक के उत्पीड़न का आरोप लगाना पर्याप्त नहीं होगा, जब तक कि अभियुक्त की ओर से ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती है जो व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करती है; और ऐसे एक आपत्तिजनक कार्रवाई घटना के समय के निकट होनी चाहिए। एक व्यक्ति ने दूसरे द्वारा आत्महत्या करने के लिए उकसाया है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से ही पता चल सकता है।

16.1 यह पता लगाने के उद्देश्य से कि क्या एक व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाया है, यह विचार किया जाएगा कि क्या अभियुक्त आत्महत्या के लिए उकसाने के कार्य का दोषी है।जैसा कि ऊपर संदर्भित निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा समझाया गया है और दोहराया गया है, भड़काना का अर्थ है किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित, आगे बढ़ना, भड़काना, उकसाना या प्रोत्साहित करना।यदि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति अति संवेदनशील थे और अभियुक्त की कार्रवाई से सामान्य रूप से ऐसी ही परिस्थिति वाले व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की अपेक्षा नहीं की जाती है, तो अभियुक्त को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराना उचित नहीं हो सकता है।लेकिन, दूसरी ओर, यदि अभियुक्त अपने कृत्यों और अपने निरंतर आचरण से ऐसी स्थिति पैदा करता है जिससे मृतक को आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं लगता है,

तो मामला आईपीसी की धारा 306 के दायरे में आ सकता है। यदि अभियुक्त पीड़ित के आत्म-सम्मान और आत्म-सम्मान को ठेस पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाता है, जो अंततः पीड़ित को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है, तो अभियुक्त को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराया जा सकता है। ऐसे मामलों में अभियुक्त की मनःस्थिति के प्रश्न की जांच अभियुक्त के वास्तविक कृत्यों और कार्यों के संदर्भ में की जाएगी और यदि कार्य और कर्म केवल ऐसी प्रकृति के हैं जहां अभियुक्त का इरादा उत्पीड़न या क्रोध के कारण से अधिक कुछ नहीं है, कोई विशेष मामला आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध से कम हो सकता है। हालांकि, अगर अभियुक्त मृतक को अपनी बातों या कामों से चिढ़ाता या परेशान करता रहा जब तक कि मृतक ने प्रतिक्रिया नहीं दी या उसे उकसाया गया, तो एक विशेष मामला आत्महत्या के लिए उकसाने का हो सकता है। मानव व्यवहार के नाजुक विश्लेषण का मामला होने के कारण, प्रत्येक मामले को अपने स्वयं के तथ्यों पर जांच करने की आवश्यकता होती है, जबकि अभियुक्त और मृतक के कार्यों और मानस पर प्रभाव डालने वाले सभी आसपास के कारकों पर ध्यान दिया जाता है।

16.2 हम यह भी देख सकते हैं कि मानव मन प्रभावित हो सकता है और असंख्य तरीकों से प्रतिक्रिया कर सकता है; और किसी के कार्य का दूसरे के मस्तिष्क पर प्रभाव अनेक असम्भाव्यताओं को वहन करता है। एक ही तरह के कार्यों को अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा अलग-अलग तरीके से निपटाया जाता है; और जहाँ तक किसी व्यक्ति विशेष की किसी अन्य मानव की क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया का संबंध है, उसका अनुमान लगाने या उसका आकलन करने के लिए कोई विशिष्ट प्रमेय या मानदंड नहीं है। यहां तक कि एक लड़की के उत्पीड़न के सवाल से जुड़े कारकों के संबंध में भी,कई कारकों पर विचार किया जाना चाहिए जैसे उम्र, व्यक्तित्व, पालन-पोषण, ग्रामीण या शहरी सेट-अप, शिक्षा, आदि। यहां तक कि छेड़खानी के बुरे कार्य की प्रतिक्रिया और एक युवा लड़की पर इसका प्रभाव भी, पृष्ठभूमि, आत्मविश्वास और परवरिश सहित कई कारकों के लिए अलग-अलग हो सकता है। इसलिए, प्रत्येक मामले को उसके अपने तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार निपटाए जाने की आवश्यकता है।"

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, एम. अर्जुनन (उच्चतम न्यायालय) के मामले में, अन्य बातों के साथ- साथ, "आरोपी के कृत्य, हालांकि, अपमानजनक भाषा का प्रयोग करके मृतक का अपमान करना, अपने आप में, के अपमान आत्महत्या का गठन नहीं करेगा। ऐसा सबूत होना चाहिए जो यह सुझाव दे सके कि अभियुक्त का इरादा मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाना था।"

19. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जियो वर्गीस (उच्चतम न्यायालय) के मामले में भी, इस विषय पर विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया और निर्णय के पैरा 23 में निम्नानुसार देखा गया: -

"23. भा०दं०सं० की 306 के तहत आत्महत्या के कथित उकसाने के लिए क्या आवश्यक है कि आत्महत्या के अपराध के लिए उकसाने का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कार्य

का आरोप होना चाहिए और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मृतक को परेशान करने का आरोप मात्र होगा अपने आप में पर्याप्त नहीं होगा, जब तक कि अभियुक्त की ओर से ऐसे कार्यों के आरोप न हों जो आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते हों। इसके अलावा, यदि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अति संवेदनशील है औरअभियुक्त पर लगाए गए आरोपों से अन्यथा आमतौर पर प्रेरित होने की उम्मीद नहीं है एक समान स्थिति वाला व्यक्ति आत्महत्या करने का चरम कदम उठाने के लिए, आरोपी को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराना असुरक्षित होगा। इस प्रकार, यह आवश्यक है कि प्रत्येक मामले की अपने स्वयं के तथ्यों और परिस्थितियों पर और आसपास के विचार को ध्यान में रखते हुए जांच की जाए। परिस्थितियाँ भी, जो अभियुक्त की कथित कार्रवाई और मृतक के मानस पर असर डाल सकती हैं।"

(जोर दिया गया)

20. दूसरी तरफ, राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता का तर्क रखा कि तत्काल मामले में प्राथमिकी नामजद है।अपीलकर्ताओं को विशिष्ट भूमिका रही है। मृतक ने एक सुसाइड नोट भी लिखा है। घटना को स्वतंत्र गवाहों ने साबित किया है। पीड़िता एक बूढी महिला थी। अपीलकर्ताओं ने मृतका को ऐसी परिस्थितियों में रखा था कि उसके पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। आरोपित अवैध निर्माण कर रहे थे। मृतक उनकी हरकत से तनाव में था। उसे अपमानित किया गया, गाली दी गई और आत्महत्या के लिए उकसाया गया।

21. राजकीय विद्वान अधिवक्ता का तर्क रखा कि साक्ष्य यह साबित है कि इस दिनांक 25.06.2014 को अपराह्न लगभग 01:00 बजे, सबसे पहले अपीलकर्ताओं ने मृतका को गंगा में डूबकर मरने के लिए कहकर आत्महत्या करने के लिए उकसाया, और उसके साथ दुर्व्यवहार और अपमान किया। और जब कुछ समय बाद मृतका फिर से आई हुई, तो उसे फिर से अपमानित किया गया और आत्महत्या के लिए उकसाया गया। उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।अपीलकर्ताओं का कार्य सक्रिय और निरंतर है। अपीलकर्ताओं ने मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाया।

22. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अर्नब मनोरंजन गोस्वामी (उपरोक्त) और उदे सिंह (पूर्वोक्त) के मामलों में निर्धारित कानून के सिद्धांत का भी उल्लेख किया।

23. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

24. पीडब्लू 1 परमजीत सिंह सूचनाकर्ता है। वह मृतका परमजीत कौर का पति है। इस गवाह ने एफआईआर को साबित किया है। उनके अनुसार उनका घर और अपीलकर्ताओं का घर सटे हुए हैं। दोनों में खुली जगह है। आवासों का निर्माण स्वीकृत योजना के अनुसार किया गया है। अपीलकर्ताओं ने कुछ निर्माण करना शुरू कर दिया था, जो इस गवाह को उसके हवा और प्रकाश के अधिकार से वंचित कर सकता था। इसलिए उन्होंने मूल वाद दाखिल किया। जोकि लंबित था। पीडब्लू 1 परमजीत सिंह के अनुसार, जून के महीने में सिविल न्यायालय की छुट्टियों का लाभ उठाते हुए, अपीलकर्ता गुरजीत ने 17.06.2014 को फिर से अवैध निर्माण शुरू कर दिया। इस गवाह ने निर्माण के खिलाफ 18.06.2014 को सीएम और एचडीए से संपर्क किया। उन्होंने आवेदन दिया, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अपीलार्थी गुजरीत सिंह ने अवैध निर्माण में तेजी लाई। इस गवाह और उसकी पत्नी ने अपीलकर्ताओं से अनुरोध किया कि यद्दिप उन्होंने दीवार का निर्माण किया है, लेकिन कृपया सीढ़ी का निर्माण न करें। लेकिन, पीडब्लू 1 परमजीत सिंह के अनुसार, अपीलकर्ताओं ने अपने

निर्माण में और तेजी लाई। दोबारा, इस गवाह ने 20.06.2014 को मुख्यमंत्री से संपर्क किया और एक आवेदन दायर किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और निर्माण में तेजी आई। 25.06.2014 को इस गवाह ने फिर से एचडीए के समक्ष शिकायत की। उन्होंने एचडीए कार्यालय का दौरा किया। उस दिन उसकी पत्नी मृतक परमजीत कौर घर में थी। उसने अपीलकर्ताओं से अनुरोध किया कि कृपया सीढ़ियां न उठाएं। इसके बाद, इस गवाह के अनुसार, दोनों अपीलकर्ताओं ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसे बताया कि उन्होंने सबसे बात की है और उनका निर्माण नहीं रोका जा सकता है और उन्होंने यह भी कहा कि "हमें निर्माण न करने के बजाय, बेहतर होगा कि आप गंगा में डूब कर मर जाएं। आपके पति उसके बाद भी मर जाएगा"। इस उच्चारण के कारण कहासुनी हो गई, लेकिन अन्य पड़ोसियों ने बीच-बचाव कर मृतक परमजीत कौर को उसके घर भेज दिया।

25. पीडब्लू 1 परमजीत सिंह के अनुसार, जब वह एचडीए से लौटा तो उसने अपने घर में भीड़ देखी। इसके बाद उन्हें घटना के बारे में बताया गया। जब तक वह पहुंचे, उनकी पत्नी को पहले ही सरकारी अस्पताल ले जाया जा चुका था। उनका घर खुला हुआ था। उन्होंने अंदर जाकर मृतक परमजीत कौर का लिखा सुसाइड नोट पाया। मृतक परमजीत कौर को देहरादून के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दिनांक 26.06.2014 की मध्य रात्रि में उसकी मृत्यु हो गई। उसका अंतिम संस्कार किया गया और उसके बाद, इस गवाह के अनुसार, उसने प्राथमिकी दर्ज की।प्रदर्श ए-1 इस गवाह ने पूछताछ पर अपने हस्ताक्षर भी साबित किये हैं। उसके मुताबिक, कुछ जली हुई चप्पलें, कपड़े आदि पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए और इस गवाह ने उन पर दस्तखत भी किये. उसने पुलिस को सुसाइड नोट भी दिया और रिकवरी नोट पर हस्ताक्षर भी किए। इस गवाह ने उन लेखों को साबित किया है, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया था।

26. पीडब्लू 1 परमजीत सिंह ने सुसाइड नोट पर स्पष्ट रूप से अपनी पत्नी की लिखावट और हस्ताक्षर की पहचान की जो प्रदर्श ए-1 है ।पंजाब एंड सिंध बैंक के चेक नंबर 783134, जिसके आधार पर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी "द एफएसएल") में सुसाइड नोट पर लिखावट और हस्ताक्षर की जांच की गई ।पर उसने अपनी पत्नी के हस्ताक्षर भी बताए। पुलिस ने जांच के दौरान इन दस्तावेजों को कब्जे में ले लिया।

27. पीडब्लू 3 के.के. मिश्रा पड़ोसी हैं, जिन्होंने घटना देखी थी। उसके अनुसार दिनांक 25.06.2014 को लगभग 12-1 बजे दोपहर में वह अपने घर से बाहर आया और देखा कि अपीलकर्ता मृतक को यह कह रहे थे कि "वे निर्माण कार्य नहीं रोकेंगे और यदि तुझमें थोड़ा भी स्वयं की इज्जत बची है, जाकर गंगा में डूब मर जा।" आरोपितों ने मृतक के परिजनों को भी अपशब्दों का प्रयोग किया। पीडब्लू 3 के.के. मिश्रा, के अनुसार इसके बाद उन्होंने हस्तक्षेप किया और मृतक परमजीत कौर को उसके घर भेज दिया, लेकिन फिर भी अपीलकर्ता गाली-गलौज करते रहे। इस गवाह के अनुसार, 22 से 25 मिनट बाद मृतका परमजीत कौर अपने घर से निकली। उसे देखकर फिर से अपीलकर्ताओं ने उससे कहा "हमने सोचा था कि तुम मरने के लिए गई हो, लेकिन तुम फिर से आई हो। यदि तुम्हारे पास थोड़ा भी आत्म-सम्मान है, तो जाओ और मरो"। तत्पश्चात्, इस गवाह के अनुसार, अपीलार्थियों द्वारा भड़काए जाने के कारण मृतका ने स्वयं को आग लगा ली।

28. पीडब्लू 4 अजीत सिंह पक्षकारान का पड़ोसी है। उन्होंने पीडब्लू 3 के.के.मिश्रा के बयान की भी पुष्टि की है। उसने देखा था जब मृतक परमजीत कौर ने खुद को आग लगा ली थी।

29. पीडब्ल्यू 2 कांस्टेबल प्रमोद नेगी ने चिक एफआईआर और सामान्य डायरी में प्रविष्टियां साबित कीं।

30. पीडब्लू 5 एसआई किरण असवाल ने जांच रिपोर्ट तैयार की थी, इसे उन्होंने साबित किया है।

31. पीडब्लू 6 एसएसआई पंकज देवरानी ने विवेचना की, नक्शा नजरी तैयार किया, मृतक की स्वीकृत हस्तलिपि और जले हुए सामान को कब्जे में लिया और इसका रिकवरी मेमो तैयार किया। उन्होंने आरोप पत्र भी साबित किया हैं।

32. पीडब्लू 7 डॉ. संजय जैन ने मृतका का पोस्टमॉर्टम किया। उनके मुताबिक मृतका 85 प्रतिशत जल चुकी थी। उन्होंने प्रदर्श ए-4 पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को साबित किया।उनके अनुसार मौत का कारण मौत से पहले जलने की चोट के कारण सदमा था।

33. पीडब्लू 8 उपनिरीक्षक राकेश खंडूरी ने सुसाइड नोट को अपने कब्जे में ले लिया था। उन्होंने इसका रिकवरी मेमो साबित किया, जो प्रदर्श ए-15 है।।

34. अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 306 के तहत दोषी ठहराया गया है। यह धारा इस प्रकार है:-

> "306. आत्महत्या के लिए उकसाना.-यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे,तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनो में से, किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकेगी , दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।"

35. भारतीय दंण्ड संहिता की धारा 306 के तहत अपराध के लिए, दुष्प्रेरण को साबित करना होगा। शब्द "दुष्प्रेरण" को आईपीसी की धारा 107 के तहत परिभाषित किया गया है। यह इस प्रकार है:-

> "107. किसी बात का दुष्प्रेरण.--एक व्यक्ति किसी बात के किये जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो--
>
> **पहला**--उस बात को करने के लिये किसी व्यक्ति को उकसाता है;अथवा
>
> **दूसरा.**--उस बात को करने के लिए किसी षड़यंत्र में एक या एक से अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षडयंत्र के अनुसरण में, और उस कार्य को करने के लिए कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाये **;** अथवा
>
> **तीसरा.**-- उस बात के लिये किये जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा, सहायता करता हैं।
>
> **स्पष्टीकरण 1.**-- जो कोई व्यक्ति, जानबूझ कर दुव्यर्पदेशन द्वारा, या किसी तात्विक तथ्य को प्रकट करने के लिये आबद्ध है, जानबूझ कर छुपाने द्वारा, स्वेच्छया किसी बात का किया जाना कारित या उपास करता है अथवा कारित या उपास करने का प्रयत्न करता है, वह उस का का किया जाना उकसाता है, यह कहा जाता हैं।"

36. आईपीसी की धारा 107 को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि, वास्तव में, यह कृत्यों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, अर्थात् - (i) भड़काना (ii) साजिश और (iii) जानबूझकर कार्य।

37. वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलकर्ताओं ने मृतक परमजीत कौर को आत्महत्या के लिए उकसाया कि उसने आत्महत्या की । भड़काना शब्द की व्याख्या विभिन्न निर्णयों में की गई है, जिनमें से कुछ का उल्लेख यहां पहले ही किया जा चुका है।

38. उकसाना भड़काना है, किसी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ने, आह्वान करने, उकसाने या प्रोत्साहित करने का आग्रह करें। उस उद्देश्य के लिए वास्तविक शब्दों का प्रयोग "उकसाने" का गठन करने के लिए आवश्यक नहीं है। लेकिन, जैसा कि रमेश कुमार (सुप्रा) में राजेश (सुप्रा) के मामले में उद्धृत किया गया है, "फिर भी परिणाम को उकसाने के लिए एक उचित निश्चितता को स्पष्ट करने में सक्षम होना चाहिए।" इसका अंदाजा परिस्थितियों से लगाया जा सकता है।

39. कुछ सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है: -

(i) यदि आरोपी ने ऐसी परिस्थितियां पैदा की कि मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था, तो यह उकसाना है।

(ii) बिना किसी इरादे के क्रोध या भावना में बोले गए शब्द उकसाना नहीं है।

(iii) अभियुक्त की ओर से बिना किसी सकारात्मक कार्रवाई के उत्पीड़न उकसाने की कोटि में नहीं आता है।

(iv) अभियुक्त ने उकसाने के कार्य द्वारा या आत्महत्या के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए एक निश्चित कार्य करके सक्रिय भूमिका निभाई होगी।

(v) आरोपी के दिमाग में दोषी होना चाहिए।

(vi) मनमुटाव के अवयवों को प्रकट रूप से मौजूद नहीं माना जा सकता है, लेकिन इसे दृश्यमान और विशिष्ट होना चाहिए।

(vii) उकसाना का शाब्दिक अर्थ है किसी भी कार्य को करने के लिए भड़काना, उत्तेजित करना , उकसाने की प्रबल इच्छा रखते हुये कुछ भी करने के लिये अनुनय करना ।

(viii) यदि कोई व्यक्ति, जो आत्महत्या करता है, अति संवेदनशील है और उसका कार्य सामान्य रूप से अपेक्षित नहीं है, तो आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए सजा नहीं हो सकती है।

(ix) यदि किसी आरोपी ने पीड़ित के आत्म-सम्मान को ठेस पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाई है, जो अंततः पीड़ित को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है, तो आरोपी को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराया जा सकता है।

(x) आपराधिक मनःस्थिति का प्रश्न अभियुक्त के वास्तविक कृत्यों से एकत्रित किया जा सकता है।

(xi) यदि अभियुक्त मृतक को अपनी बातों या कार्यो से तब तक चिढ़ाता या परेशान करता रहा या उसे उकसाया गया,जब तक कि मृतक ने प्रतिक्रिया नहीं दी तो एक विशेष मामला आत्महत्या के लिए उकसाने का हो सकता है।

(xii) अभियुक्त का कार्य, भले ही अपमानजनक भाषा का उपयोग करके अपमानजनक हो, अपने आप में आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं होगा।

(xiii) केवल उत्पीड़न के आरोप पर्याप्त नहीं हो सकते हैं, जब तक कि आरोपी की ओर से ऐसा कार्य न हों, जिसने मृतक को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया हो।

40. आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। यह उस व्यक्ति द्वारा स्वयं किया जाता है, लेकिन इसके लिए किसी अन्य व्यक्ति को इस आधार पर दोषी ठहराया जाता है कि ऐसे अन्य व्यक्ति/आरोपी ने मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाया था। उकसाना वास्तव में एक निश्चित कार्य करने के लिए दूसरे के मन को नियंत्रित करना है। यदि किसी अभियुक्त ने, वास्तव में, मृतक के दिमाग को नियंत्रित किया है और उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित किया है, तो ऐसा अभियुक्त आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी है।

41. उदे सिंह (उपरोक्त) के मामले में, पैरा 16.2 में, जैसा कि यहां पहले उद्धृत किया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पहलू पर ध्यान दिया है और कहा है कि "मानव मन प्रभावित हो सकता है और असंख्य तरीकों से प्रतिक्रिया कर सकता है; और किसी के कार्य का प्रभाव से दूसरे के दिमाग में कई असम्भाव्यताएँ होती हैं। समान कार्यों को अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा अलग-अलग तरीके से निपटाया जाता है; और जहाँ तक किसी अन्य व्यक्ति की कार्रवाई के लिए किसी विशेष व्यक्ति की प्रतिक्रिया का संबंध है, उसका अनुमान लगाने या उसका आकलन करने के लिए कोई विशिष्ट सूत्र या मानदंड नहीं है। वास्तव में, मानव मन की प्रतिक्रिया असंख्य कारकों पर निर्भर करती है जैसे उम्र, पालन-पोषण, शिक्षा, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, अभियुक्त और मृतक के बीच संबंध; वह विषय जिस पर कथित रूप से उकसाने का काम किया गया था; क्या विषय मृतक के नजदीकी था; क्या मृतक विषय से भावनात्मक, आर्थिक, या किसी अन्य तरीके से संबंधित था; मृतक और अभियुक्तों के बीच संबंध, उनके बीच शामिल विषय के रूप में जिसने कथित उकसावे को उत्प्रेरित किया। इस सूची को संपूर्ण नहीं बनाया जा सकता है। जैसा कि कहा गया है कि मानव मन किसी विशेष स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया करता है, कोई भी सूत्र या मानदंड ऐसा आकलन नहीं कर सकता है। वास्तव में यह अनंत है।

42. विस्थापित विधिक स्थिति को मध्यनजर रखते हुए, अदालत तत्काल मामले की परीक्षण करने के लिए आगे बढ़ती है।

43. अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया है कि अपीलकर्ताओं द्वारा बोले गए विशिष्ट शब्द साबित नहीं होते हैं और कोई निरंतर उत्पीड़न नहीं हुआ है।

44. इससे पहले कि यह न्यायालय आक्षेपित निर्णय में उल्लखित निष्कर्ष के संदर्भ में तर्कों के आधार पर साक्ष्यों का परीक्षण करने के लिए आगे बढ़े, पक्षों के बीच संबंध और उम्र को देखना उचित होगा।

45. मृतका और उसका पति अपीलकर्ताओं के पड़ोसी थे। जब मृतका की मौत हुई उसकी उम्र वर्ष 2014 में 60 वर्ष थी। उसके पति परमजीत सिंह की जब 01.03.2019 को न्यायालय में पेशी हुई,तो उनकी उम्र 72 साल थी, यानी साल 2014 में जब घटना हुई, तब उनकी उम्र 67 साल थी.

46. जब उनकी संहिता की धारा 313 के तहत परीक्षा की गई तो 02.03.2020 को अपीलकर्ता गुरजीत सिंह और श्रीमती देवेंद्र कौर की उम्र क्रमशः 50 और 44 वर्ष थी,जिसका अर्थ है 2014 में जब यह घटना हुई श्रीमती देवेंद्र कौर की उम्र 38 साल थी और अपीलकर्ता गुरजीत सिंह की उम्र 44 साल थी।

47. अपीलकर्ता मृतका और उसके पति परमजीत सिंह की तुलना में काफी छोटे थे। उनके घरों का निर्माण स्वीकृत योजना के अनुसार किया गया था। अपीलकर्ताओं ने इनमें खुली जगह में कुछ निर्माण

करने की कोशिश की, लेकिन अभियोजन पक्ष के अनुसार पीडब्लू 1 परमजीत सिंह और मृतक परमजीत कौर ने आपत्ति जताई थी कि यह निमार्ण उनके प्रकाश और हवा के अधिकार को बाधित करेगा। उन्होंने निर्माण फरवरी, 2013 के महीने में शुरू होने पर माह फरवरी, 2014 में मूल वाद मुकदमा दायर किया। मूल वाद में पीडब्लू 1 परमजीत सिंह के पक्ष में अंतरिम आदेश नहीं दिया गया था। (इन तथ्यों का खुलासा पीडब्लू 1 परमजीत सिंह ने अपनी जिरह में किया था)। अभियोजन पक्ष के अनुसार जून के महीने में, सिविल न्यायालय बंद रहने के समय अपीलकर्तागण ने अपने अवैध निर्माण में तेजी लाई। पीडब्लू 1 परमजीत सिंह और उनकी पत्नी ने अवैध निर्माण को रोकने के लिए विभिन्न अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। इस पृष्ठभूमि में इस मामले का आकलन किया जाना है।

48. मृतका और उसका पति वृद दंपति अपने घर में अकेले रह रहे थे। जो अवैध निर्माण पर आपत्ति जता रहे थे, जिन्हे आशंका थी कि इससे उन्हें हवा और प्रकाश का अधिकार नहीं मिलेगा। अपीलकर्ता स्वयं अपनी भूमि पर निर्माण कार्य कर रहे थे। बाद में निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। यह पीडब्लू 3 के.के. मिश्रा द्वारा ने अपनी जिरह में,कहा गया है। (21.09.2019 को पेज 2, पहले पैराग्राफ में है)।

49. विचारण के दौरान, अभियोजन पक्ष की ओर से, मूल वाद में पारित एकपक्षीय निर्णय दिनांक 17.12.2019 को रिकॉर्ड पर रखने के लिए 12.03.2020 को एक आवेदन 104 बी दिया गया था। वाद एक पक्षीय रुप निर्णीत किया गया था। इस दस्तावेज को न्यायायलय ने 19.02.2021 को अभिलेख में लिया है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रति को साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है। दिनांक 17.12.2019 के इस निर्णय के पृष्ठ 8, पैरा 2 में, यह स्पष्ट रूप से अदालत द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अपीलकर्ताओं ने अवैध निर्माण किए थे। दरअसल, उन्होंने सड़क की ओर भी अतिक्रमण कर लिया था और उन्होंने अपने द्वारा किए गए अवैध निर्माणों को शमन करने के लिए भी आवेदन किया था. लेकिन सड़क पर अतिक्रमण होने के कारण निर्माण नहीं हो सका। कोई अन्य प्रमाण नहीं है, जो इसका खंडन कर सके। यदि्प, जैसा कहा गया है, अभियोजन साक्षी 3 के.के. मिश्रा ने एक स्तर पर कहा है कि विकास प्राधिकरणों ने निर्माणों को ध्वस्त कर दिया था। दिनांक 17.12.2019 के मूल वाद में पारित निर्णय को देखते हुए साक्ष्य के उस भाग को सत्य नहीं माना जा सकता क्योंकि इस निर्णय द्वारा अपीलकर्ताओं को उनके अवैध निर्माणों को गिराने का निर्देश दिया गया था। तथ्य यह है कि मूल वाद दिनांक 17.12.2019 के निष्कर्षों से पुष्टि होती है कि अपीलकर्ताओं ने अवैध निर्माण किया। सड़क पर भी अतिक्रमण कर लिया।

50. PW1 परमजीत सिंह ने स्पष्ट रूप से घटनाओं के कालक्रम को बताया है। उन्होंने फरवरी, 2014 के महीने में मूल मुकदमा दायर किया। जून के महीने में, अपीलकर्ता ने निर्माण को और बढ़ा दिया। PW1 परमजीत सिंह ने 18.06.2014, 20.06.2014 और 25.06.2014 को सीएम और एचडीए से संपर्क किया। वह अवैध निर्माण नहीं रुकवा सके। 18.07.2019 को दर्ज अपने जिरह में उन्होंने इसका ब्योरा दिया है। मृतक और PW1 परमजीत सिंह ने अपमानित महसूस किया। उन्हें लगा, जैसे उनका स्वाभिमान ही नष्ट हो गया हो। उन्हें लगा कि उनके अधिकार के बावजूद उन्हें न्याय नहीं दिया जा रहा है। बस इतना ही होता तो बात कुछ और होती। लेकिन,अपीलकर्ताओं की भूमिका इससे परे, मृतक और PW1 परमजीत सिंह के संबंध में है।

51. पीडब्लू 1 परमजीत सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने और उसकी पत्नी, मृतक परमजीत कौर ने अपीलकर्ताओं से निर्माण नहीं करने का अनुरोध किया था। निश्चित अंतराल पर

बार-बार अनुरोध किया गया लेकिन, वे उनके अनुरोध पर नहीं माने। 17.06.2014 से जब अपीलकर्ताओं ने सिविल अदालतों की गर्मी की छुट्टियों के दौरान फिर से निर्माण शुरू किया तो बात और बढ़ गई और आखिरकार 25.06.2014 को अपीलकर्ताओं ने दीवार खड़ी कर दी थी और वे सीढ़ियां उठाने के प्रयास में थे। तब PW1 परमजीत सिंह ने HDA कार्यालय गये,घर पर उसकी पत्नी मृतक परमजीत कौर ने अपीलकर्ताओं से और निर्माण नहीं करने का अनुरोध किया। इसी समय, पीडब्लू 1 परमजीत सिंह के अनुसार, मृतका के साथ दुर्व्यवहार किया गया और दोनों अपीलकर्ताओं ने उससे कहा था कि "यदि उसमें थोड़ा भी आत्म सम्मान बचा है, तो उसे गंगा में डूब कर मर जाना चाहिए"। विवाद होने पर पड़ोसियों ने बीच-बचाव कर मृतक परमजीत कौर को उसके घर वापस भेज दिया गया।

52. PW3 के.के. मिश्रा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मृतका परमजीत कौर को उसके घर भेजे जाने के बाद भी अपीलार्थी उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते रहे। मृतका फिर से अपने घर से बाहर आई, लेकिन उसे अपीलकर्ताओं द्वारा यह कहकर और अपमानित किया गया कि "हमने सोचा था कि तुम मरने के लिए गई हो, लेकिन तुम फिर से आई हो, अगर तुममें थोड़ा भी आत्म सम्मान बचा है तो जाओ और मर जाओ"। इसके बाद मृतका ने आत्महत्या कर ली। यह केवल एक अवसर पर नहीं है कि अपीलकर्ताओं ने केवल शब्दों का उच्चारण किया बल्कि आरोपितों ने अपने कार्य लगातार जारी रखते हुये इसमे सक्रिय भूमिका निभाई। एक ओर तो उन्होंने अवैध निर्माण रोकने से मना कर दिया और दूसरी ओर अपीलकर्ताओं ने मृतका को अपमानित किया।

53. PW4 अजीत सिंह ने भी इसके बारे में कहा है। इन दोनों गवाहों ने इन शब्दों का प्रयोग किया है कि अपीलकर्ताओं ने मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाया। उकसाना भाषा से नहीं आचरण से भी होता है। वर्तमान मामले में, यह अपीलकर्ताओं द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों और उनके आचरण दोनों द्वारा है।

54. तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ताओं द्वारा बोले गए वास्तविक शब्द साबित नहीं हुए हैं। यह तर्क स्वीकृति के योग्य नहीं है। अपीलार्थियों द्वारा प्रयुक्त वास्तविक शब्दों को अभियोजन पक्ष द्वारा सिद्ध किया गया है।

55. PW3 के.के. मिश्रा और PW4 अजीत सिंह ने इसके बारे में कहा है। इन गवाहों से काफी विस्तार से जिरह की है। घटना के स्थान पर उनकी उपस्थिति और किसी भी तरह से उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध नहीं है। उनके साक्ष्य बहुत विश्वसनीय हैं। वे वास्तव में स्वतंत्र गवाह हैं। वे पड़ोसी हैं। सबसे अच्छा गवाह कौन होगा ?

56. अपीलार्थियों की ओर से यह तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ता अपने घर में निर्माण करा रहे थे और मृतका और उसका पति अनावश्यक रूप से इसका विरोध कर रहे थे। यह तर्क बिना आधार के बलहीन है। मूल वाद में पारित एक पक्षीय निर्णय दिनांक 17.12.2019 का पुष्टि करता है कि निर्माण अवैध था।

57. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ताओं ने लगातार मृतक को परेशान किया। अपीलकर्ताओं ने ही यह स्थिति पैदा की है। अपीलकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द गुस्से के लायक नहीं थे। वे बार-बार बयानबाजी करते थे।

58. इस मामले में, एक सुसाइड नोट भी है जिसे मृतक ने खुद लिखा है। उसके मुताबिक कोर्ट में केस करने के बावजूद अवैध निर्माण नहीं रोका गया है. मृतका ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है, "मैं परमजीत कौर गुरजीत सिंह और उनकी पत्नी की धमकियों और उनकी दादागिरी से तंग आकर उनके घर के

सामने आत्महत्या कर लेती हूं।" साथ ही लिखा है "हम पति-पत्नी इस वृद्धावस्था में लाचार हैं, हम केवल कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। विकास प्राधिकरण उनकी सहायता कर रहा है।" यह सुसाइड नोट केवल शब्दों के साथ नहीं है। PW1 परमजीत सिंह, PW3 के.के.मिश्रा का बयान और PW4 अजीत सिंह ने सुसाइड नोट को साबित किया। गवाहों के बयानों के साथ यह सुसाइड नोट साबित करता है कि वास्तव में, अपीलकर्ताओं ने अपने कृत्यों और अपने निरंतर आचरण से मृतक के आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाई, जिसने अंततः मृतक को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया। यह संदेह की छाया से परे साबित होता है कि अपीलकर्ताओं ने मृतक को आत्महत्या करने के लिए उत्प्रेरित, उकसाया और प्रोत्साहित किया।

59. पूर्वोक्त चर्चाओ के मद्देनजर, इस न्यायालय का विचार है कि अभियोजन पक्ष दोनों अपीलकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत संदेह से परे आरोप साबित करने में सफ़ल रहा है। निचली अदालत ने अपीलकर्ताओं को उचित रूप से दोषी ठहराया और सजा सुनाई है। अपील में कोई आधार नहीं है। तदनुसार, यह खारिज करने योग्य है।

60. अपील खारिज की जाती है।

61. अपीलकर्ता जेल में हैं।

62. इस फैसले की एक प्रति अपीलकर्ताओं को भेजी जाए। निचली अदालत के रिकॉर्ड के साथ इस फैसले की एक प्रति अनुपालन के लिए संबंधित अदालत को भेजी जाए।

(रवींद्र मैठानी, जे.)

18.01.2022

(रमेश सिंह)

मुख्य न्यायिक मजि०नैनीताल

अंग्रेजी से हिन्दी अनुवादक ।